

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	07]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2019 ⁄ चैत्र 7, 1941
No.	07]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2019/CHAITRA 7, 1941

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (प्रशिक्षण महानिदेशालय)

शुद्धि-पत्र

नयी दिल्ली, 27 मार्च, 2019

- **सं. डीजीटी-ए-11018/1/2018-प्रशा.**II.—भारत सरकार, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, प्रशिक्षण महानिदेशालय के संकल्प सं. डीजीटी-ए-11018/1/2018-प्रशा.Ⅱ दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 के आंशिक आशोधन में भारत के राजपत्र के भाग-ा खंड-2, में प्रकाशितः
- 1. पैरा (1) में अंतिम वाक्य आरडीएसडीईज मंत्रालय के सम्बद्ध कार्यालय होंगे को "आरडीएसडीईज, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन मंत्रालय के सम्बद्ध कार्यालय होंगे" के रूप में पढ़ा जाए।
- 2. अनुबंध-। में (i) क्र.सं.2 के सामने कॉलम [आरडीएसडीई के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्रीय संस्थानों (सीएफआइज) के नाम]"एनएसटीआई (डब्ल्यू) तुरा, एनएसटीआई (डब्ल्यू), अगरतला, विस्तार केन्द्र मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मणिपुर में" पढ़ा जाए;।
 - (ii) कॉलम [आरडीएसडीई के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्रीय संस्थानों (सीएफआइज) के नाम], क्र.सं. 6 में "एनएसटीआई, पानीपत" के स्थान पर "एनएसटीआई, पानीपत तथा शिक्षुता प्रकोष्ठ, फरीदाबाद" पढ़ा जाए;
 - (iii) कॉलम [आरडीएसडीई के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्रीय संस्थानों (सीएफआइज) के नाम], क्र.सं. 9 में "एनएसटीआई जमशेदपुर" के स्थान पर "एनएसटीआई, जमशेदपुर तथा एनएसटीआई (डब्ल्यू) रांची" पढ़ा जाए:

1897 GI/2019 (1)

- (iv) कॉलम [आरडीएसडीई के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्रीय संस्थानों (सीएफआइज) के नाम] क्र.सं. 17 के स्थान पर "एनएसटीआई, चैन्नई, एनएसटीआई (डब्ल्यू), त्रिची तथा पुदुच्चेरी और अंडमान व निकोबार में विस्तार केन्द्र", पढ़ा जाए:
- (v) कॉलम [आरडीएसडीई के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्रीय संस्थानों (सीएफआइज) के नाम] क्र.सं. 21 के "एनएसटीआई, कोलकाता, एनएसटीआई (डब्ल्यू), कोलकाता" के स्थान पर "एनएसटीआई, कोलकाता, एनएसटीआई (डब्ल्यू) कोलकाता तथा सिक्किम में विस्तार केन्द्र" पढ़ा जाए;
- (vi) कॉलम (मुख्यालय) के अंतर्गत क्र.सं. 21 में "कोलकाता" शब्द जोड़ा जाए।

दीपांकर मल्लिक, उप महानिदेशक

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(Director General of Training) CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th March, 2019

No. DGT-A-11018/1/2018-Adm.II.— In the partial modification of Resolution of the Government of India, Ministry of Skill Development & Entrepreneurship, Directorate General of Training No. DGT-A-11018/1/2018-Adm.II dated 14th December, 2018 published in Part-I Section-2 of the Gazette of India:

- 1. in para (1), the last sentence "RDSDEs would be Attached Offices of the Ministry", is to be read as "RDSDEs would be Attached Offices of the Ministry under the administrative control of Directorate General of Training, Ministry of Skill Development & Entrepreneurship."
- 2. In the Annexure-I,
- (i) at Column [Names of Central Field Institutes (CFIs) under RDSDE], against S.No.2 for, "NSTI(W) Tura, NSTI (W), Agartala" read as "NSTI(W) Tura, NSTI (W), Agartala, Extension Centre at Mizoram, Nagaland, Arunachal Pradesh and Manipur";
- (ii) at Column [Names of Central Field Institutes(CFIs) under RDSDE], against S.No.6, for "NSTI, Panipat" read as, "NSTI, Panipat and Apprenticeship Cell, Faridabad";
- (iii) at Column [Names of Central Field Institutes (CFIs) under RDSDE], against S.No.9, for "NSTI, Jamshedpur" read as "NSTI, Jamshedpur and NSTI(W), Ranchi";
- (iv) at Column [Names of Central Field Institutes (CFIs) under RDSDE], against S.No.17, for "NSTI, Chennai, NSTI(W), Trichy" read as "NSTI, Chennai, NSTI(W), Trichy and Extension Centre at Puducherry and Andaman & Nicobar";
- (v) at Column [Names of Central Field Institutes (CFIs) under RDSDE], against S.No.21, for "NSTI, Kolkata," NSTI(W), Kolkata" read as "NSTI, Kolkata, NSTI(W), Kolkata and Extension Centre at Sikkim";
- (vi) Under Column (Headquarters) against S.No.21, add word "Kolkata".

DEEPANKAR MALLICK, Dy. Director General